

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीपालपुरी गुराई बनाम श्री राजपतिर तखीलदार सा. माण्डल

किरण मुकदमा प्रा-पत्र द्वारा 09 R 9 ब. धारा नं० 53 सन 2020  
151-जा. नं०

दिनांक	हुकम या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
22-9-20	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जाते। पत्रावली दिनांक 8-10-20 को पेश है। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
8-10-20	पत्रावली पेश हुई, विपक्षीय द्वारा न्यायिक कार्य को स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 16-10-20 को पेश है।	
16-10-20	पत्रावली पेश हुई, विपक्षीय द्वारा न्यायिक कार्य को स्थगित रखने से पत्रावली दिनांक 23-10-20 को पेश है।	
23-10-20	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, पैरोकार सरकार उपस्थित, वकील वादी ने एक डा. पत्र अन्वर्ति 09 R 9 ब. धारा 151 जा. नं० प्रस्तुत किया। प्रस्तुत डा. पत्र पर वकील वादी ने बहस करती चाही। वकील वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने वा. पत्र में अंकित बच्चों व इस्तवतेजों के अधार पर डा. पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुझा की। जज की पैरोकार सरकार से प्रा-पत्र 09 R 9 ब. धारा 151 जा. नं० को खारीज किये जाने की इस्तुझा की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया वचा उमपपत्रों की बहस पर मन्मन किया। वकील वादी का वा. पत्र दिनांक 11-9-20 को वकील वादी की अनुपाध्यक्षी में वादी का वा. पत्र अस्तु धरती। अनुपाध्यक्षी में खारीज	23/10/20

किता गया। वकील वार्दी मे प्ला-पत्र दिवको  
21-9-20 को प्रस्तुत किया जो अदर अधि में  
प्रस्तुत होने से वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेखा  
आवश्यक है।

आदेश :-

उतः न्यायहित में वकील वार्दी द्वारा प्रस्तुत  
कार्यना पत्र 09 R9 व धारा 151 जा-पी के स्वीकृत  
किया जाकर प्रकरण सं० 25/20 राजस्व वाद पत्र  
को पुनः नम्बर पर लिपे जाने का आदेश दिया जाता  
है प्रकरण को पुनः जर्नल रजिस्टर दिया जाकर फावली  
नम्बर वाद पत्र के साथ रजिस्टर की जाये। फावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से रुम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा